



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270850
CG-DL-E-11032026-270850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1216]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1216]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के पटना जिले में NH33 के कि.मी. 0 से कि.मी. 8.4 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूअर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के पटना जिले में NH33 के कि.मी. 0 से कि.मी. 8.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: पटना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: घोसवरी					
गांव का नाम: घोसवरी (40)					
1	2835	निजी	कृषि	0.0625 (एकर)	0.0252934
2	2836	निजी	कृषि	0.1850001 (एकर)	0.0748685
3	2837	निजी	कृषि	0.3250007 (एकर)	0.1315257
4	2838	निजी	कृषि	4.34 (एकर)	1.756374
5	2839	निजी	कृषि	2.030001 (एकर)	0.8215297
6	2840	निजी	कृषि	2.250001 (एकर)	0.9105625
7	2841	निजी	कृषि	2.279999 (एकर)	0.9227034
8	2843	निजी	कृषि	0.98 (एकर)	0.3966006
9	2844	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	1.4 (एकर)	0.5665722
10	2845	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.265 (एकर)	0.107244

11	2845/2963	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.98 (एकर)	0.3966006
12	2856	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	1.05 (एकर)	0.4249292
13	2856/2964	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.41 (एकर)	0.1659247
14	2857	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.54 (एकर)	0.218535
15	2858	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	1.06 (एकर)	0.4289761
16	2859	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.31 (एकर)	0.1254553
तालुक का नाम: मोकामा					
गांव का नाम: आँटा (25)					
17	4450	निजी	कृषि	0.05 (एकर)	0.0202347
18	4561	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	4.01 (एकर)	1.622825
गांव का नाम: चिंता मंचक (29)					
19	2233	निजी	कृषि (बकास्त मालिक)	0.02 (एकर)	0.0080939
Total					9.1248485

[फा. सं. NHAI/PIU-Munger/Mokama-Munger/LA/2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1273(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH33 in the

stretch of land from Km. 0 to Km. 8.4 (Collectorate, Patna) in the district of PATNA in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 33 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.4 (Collectorate, Patna) in the district of PATNA in the state of BIHAR.

State: BIHAR			District: PATNA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ghoswari					
Village: Ghoswari (40)					
1	2835	Private	Agriculture	0.0625 (Acre)	0.0252934
2	2836	Private	Agriculture	0.1850001 (Acre)	0.0748685
3	2837	Private	Agriculture	0.3250007 (Acre)	0.1315257
4	2838	Private	Agriculture	4.34 (Acre)	1.756374
5	2839	Private	Agriculture	2.030001 (Acre)	0.8215297
6	2840	Private	Agriculture	2.250001 (Acre)	0.9105625
7	2841	Private	Agriculture	2.279999 (Acre)	0.9227034
8	2843	Private	Agriculture	0.98 (Acre)	0.3966006
9	2844	Private	Agriculture (Bakast Malik)	1.4 (Acre)	0.5665722
10	2845	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.265 (Acre)	0.107244
11	2845/2963	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.98 (Acre)	0.3966006
12	2856	Private	Agriculture (Bakast Malik)	1.05 (Acre)	0.4249292
13	2856/2964	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.41 (Acre)	0.1659247

14	2857	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.54 (Acre)	0.218535
15	2858	Private	Agriculture (Bakast Malik)	1.06 (Acre)	0.4289761
16	2859	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.31 (Acre)	0.1254553
Taluk: Mokama					
Village: Auta (25)					
17	4450	Private	Agriculture	0.05 (Acre)	0.0202347
18	4561	Private	Agriculture (Bakast Malik)	4.01 (Acre)	1.622825
Village: Chinta Manchak (29)					
19	2233	Private	Agriculture (Bakast Malik)	0.02 (Acre)	0.0080939
Total					9.1248485

[F. No. NHAI/PIU-Munger/Mokama-Munger/LA/2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director